नवभारत
छत्तीसगढ़ • ओडिशा
Rajdhani - 10 Jul 2025 - 10raj1
epaper.navabharat.news

अब 140 करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में अनिल टुटेजा और ढेबर गिरफ्तार

भूपेश सरकार में राइस मिलरों को जमा चावल का भुगतान करने के बदले वसूले गए थे रुपए

मार्कफेड एमडी मनोज सोनी और राइस मिलर्स एसोसिएशन कोषाध्यक्ष चंद्राकर पहले ही जेल में

नवभारत ब्यूरो। रायपुर।

भूपेश बघेल सरकार में काफी प्रभावशाली माने जाने वाले जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा एवं शराब कारोबारी अनवर ढेबर को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अब 140 करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में गिरफ्तार किया है। जेल से प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट में पेश कराकर दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ब्यूरो के प्रेस नोट के मुताबिक भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, अवैध उगाही-ब्लैकमेल एवं गबन के >> शेष पेज 2 पर

अनिल टुटेजा ने आरोपी बनाये जाने का विरोध करते हुए कोर्ट में अपना तर्क खुद ही प्रस्तुत किया। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि सिर्फ कुछ लोगों से मौखिक बयान के आधार पर आज उन्हें नए मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है, जो साजिश है। यह कुछ नहीं, सिर्फ एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। उन्होंने कहा कि चावल संग्रहण केस की जांच को अब 18 महीने हो चुके हैं। इस केस में ईओडब्ल्यू ने उनसे एक बार भी पूछताछ नहीं की। पर अब जब वर्तमान मामले में उनकी (श्री टुटेजा की) बेल याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लग रही है। तभी नए मामले में गिर.फ्तार किया जा रहा है। वह पिछले 15 महीने से जेल में हैं और सभी एजेंसियों के समक्ष जांच में सहयोग या पूछताछ के लिए उपलब्ध रहे हैं।

टुटेजा ने रखी दलील - ईओडब्ल्यू ने 18 माह में एक बार भी पूछताछ नहीं की

उनके घर और परिवार के व्यापारिक संस्थानों पर पिछले 5 सालों में 4 अलग-अलग राज्य व केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे हैं। इन सभी छापों में उनके पास से कोई भी अवैध वस्तु या पैसा बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्हें शराब मामले में भी मास्टरमाइंड बताया गया। 61 करोड़ मिलने का आरोप लगाया और अब चावल संग्रहण मामले में भी 20-22 करोड़ मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। श्री टुटेजा ने दावा किया कि आरोपित समय पर वह खाद्य विभाग में नहीं थे और न ही उन्होंने उससे जुड़ी कोई फाइल देखी है। वर्ष 2019 से 2023 तक केवल उद्योग विभाग में वह पदस्थ रहे हैं।

एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के जरिये कराई जा रही थी वसूली

दर्ज केस के मुताबिक एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारियों के जरिये पूरे छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से कमीशन वसूला गया और बदले में न केवल राशि का भुगतान किया गया, बल्कि राशि भी बढ़वाई गई थी। जिन मिलरों ने कमीशन की रकम नहीं दी, उनका भुगतान रोका गया। आरोप है कि तत्कालीन कांग्रेस शासनकाल में आरोपी रोशन चंद्राकर ही उन मिलरों की सूची तैयार करके मार्कफेड को भेजते थे, जिनसे कमीशन मिल चुका होता था। इन्हीं मिलरों को कस्टम मिलिंग की राशि का भुगतान किया जाता था।

अक्टूबर 2023 में ईडी ने मारे थे छापे

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 2023 में छत्तीसगढ़ के कई प्रभावशाली लोगों पर छापेमारी की थी। 20-21 अक्टूबर की छापेमारी में मार्कफेड के पूर्व सीएमडी मनोज सोनी, राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर भी छापेमारी के दायरे में आए। इनके यहां से कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिलने का दावा करते हुए एक करोड़ छह लाख कैश भी जब्त किए गए थे। ईडी को आयकर विभाग से सूचना मिली थी। जबकि ईडी ने अपना जांच प्रतिवेदन ईओडब्ल्यू को भेजा। जिसके आधार पर जनवरी 2024 में कस्टम मिलिंग घोटाले का केस दर्ज किया गया। जिसमें मार्कफेड के पूर्व सीएमडी मनोज सोनी, राइस मिलर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग समेत पांच आरोपी थे। आरोप है कि कस्टम मिलिंग का चावल जमा करने वाले राइस मिलरों को शासन की ओर से राशि का भुगतान करने के बदले में एक तय राशि बतौर कमीशन वसूल की गई।